अनुदान संख्या 33 - लोक उद्यम विभाग
GRANT No. 33 - DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	30,00,00			
			33,00,00	31,18,37	-1,81,63
पूरक	Supplementary	3,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,81,27
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
पूरक	Supplementary		150,00,00	150,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹181.63 लाख) दिसंबर, 2022 में प्राप्त किए गए ₹300.00 लाख के पूरक अनुदान का 61 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹181.63 lakhs) constituted 61 percent of the supplementary grants of ₹300.00 lakhs obtained in December, 2022 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	2145.00			
पू.	S.	300.00	2317.76	2317.42	-0.34
पु.	R.	-127.24			

(I) ₹85.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "सचिवालय – लोक उद्यम विभाग" के अंतर्गत – ₹2145.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2445.00 लाख किया गया जो, तथापि ₹127.58 लाख की सीमा तक, रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने तथा बिल प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹85.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under "Secretariat - Department of Public Enterprises" - the original provision of ₹2145.00 lakhs was augmented to ₹2445.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs which, however, remained un-utilised to the extent of ₹127.58 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and non-receipt of bills.